


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1252]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्याइस्था 23, 1936

No. 1252]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2014

का.आ. 1506(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके डॉ. हर्ष वर्धन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को श्री गुलाम नबी आजाद के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में दिनांक 5 जून, 2009 को प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना संख्या वी-16011/1/1998/एमई (पी जी) (1) दिनांक 5 जून, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः

“1. डॉ. हर्ष वर्धन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, नई दिल्ली।”

[फा. सं. वी.-16011/1/2014-एम.ई.-1]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव